सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

आइये, एक बेहतर जीवन बनायें — Build a better life around us

Central Office : Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

भर्ती एवं पदोन्नति प्रभाग, मानव संसाधन विभाग.

परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं विभिन्न वेतनमानों में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती - 2009

सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विभिन्न वेतनमानों में विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है. विवरण निम्नवत है :

महत्त्वपूर्ण: अभ्यर्थियों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करना होगा. अन्य साधन/माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

ऑन-लाइन पंजीकरण खुलने की तारीख	**15/06/2009**
ऑन-लाइन पंजीकरण बंद होने की तारीख (सुदूर क्षेत्रों के आवेदकों सहित सभी आवेदकों के लिए)	**30/06/2009**
प्रणाली जनित मुद्रित ऑन-लाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख	**06/07/2009**
प्रणाली जनित मुद्रित ऑन-लाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख (सुदूर क्षेत्रों के लिए)	**13/07/2009**
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की लिखित परीक्षा की तारीख (पद कोड - 01 के लिए)	**16/08/2009**
विशेषज्ञ अधिकारियों की लिखित परीक्षा की तारीख (पद कोड - 02 एवं 03 के लिए)	**09/08/2009**

1. पद वार एवं वेतनमान वार रिक्तियों का ब्रेक-अप निम्नवत है :

पद कोड क्रमांक	पद	वर्ग	वेतनमान	पदों की संख्या
01	परिवीक्षाधीन अधिकारी	मुख्य धारा	कप्रश्रे वेतनमान I	**805**
02	कृषि वित्त अधिकारी	विशेषज्ञ	कप्रश्रे वेतनमान I	**400**
03	विधि अधिकारी	विशेषज्ञ	मप्रश्रे वेतनमान II	**70**
	योग			**1275**

2. आरक्षण का विवरण निम्नवत है :-

पद कोड	वेतनमान	अजा	अजजा	अपिव	सामान्य	कुल	इनमें से		
							शारीरिक विकलांग	श्रव्य विकलांग	दृश्य विकलांग
01	वेतनमान I	183	91	328	603	1205	8	8	8
से	वेतनमान II	11	5	19	35	70	1	1	0
03	कुल	194*	96*	347*	638	1275	9**	9**	8**

* **गत वर्ष की शेष रिक्तियों सहित.**

** **विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के अंतर्गत "कृषि वित्त अधिकारी" पद चयनित नहीं है.**

नोट : **(i) अभ्यर्थी, पद कोड 02 से 03 में से एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो पद कोड 01 एवं पद कोड 02 के लिए आवेदन कर रहे हैं को, दोनों पदों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक शुल्क सहित अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा.**

(ii) रिक्तियों की संख्या के साथ ही आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है.

(iii) विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण समस्तरीय आधार पर है एवं चयनित अभ्यर्थियों को उचित वर्ग में (जैसे अजा/ अजजा/ अपिव/ सामान्य) जिससे वे सम्बद्ध हैं, में रखा जाएगा.

(iv) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण : -

(ए) श्रव्य विकलांग (एचआई), एवं शारीरिक विकलांग (ओएच) की परिभाषा ''विकलांग व्यक्ति (समान अवसर एवं अधिकारों का पूर्ण संरक्षण) अधिनियम, 1995'' में यथा निर्धारित किए अनुसार है.

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग व्यक्तियों को उनकी उपयुक्तता के अनुसार बैंक द्वारा चिन्हित शाखाओं / कार्यालयों, जिनमें पद हैं, में कार्य करना होगा.

3. उपर्युक्त पदों के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (दिनांक 01/04/2009 को) निम्नवत निर्धारित किया गया है :

पद	पद का नाम	आयु	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
01	परिवीक्षाधीन अधिकारी (वेतनमान I)	न्यूनतम - 21 वर्ष अधिकतम - 30 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता :** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंक (अजा / अजजा / शारीरिक विकलांग के लिए 50% अंक) सहित स्नातक. कम्प्यूटर अनुप्रयोग का बुनियादी ज्ञान (सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाणपत्र आवश्यक है).
02	कृषि वित्त अधिकारी (वेतनमान I)	न्यूनतम - 21 वर्ष अधिकतम - 30 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता :** कृषि/बागवानी/ पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग/मात्सिकीय विज्ञान/मत्स्य पालन/कृषि विपणन एवं सहकारिता में डिग्री.
03	विधि अधिकारी (वेतनमान II)	न्यूनतम - 21 वर्ष अधिकतम - 35 वर्ष	**शैक्षणिक योग्यता :** विधि में डिग्री (एलएलबी) न्यूनतम अंक 50% से कम नहीं (अजा/अजजा/शावि के अभ्यर्थियों के लिए 45%). अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातकोत्तर डिग्री (एलएलएम), सीएआईआईबी/ एमबीए वाले अभ्यीर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों से प्राथमिकता दी जाएगी. **अनुभव :** बार अथवा न्यायिक सेवाओं में 5 वर्ष की प्रैक्टिस का अनुभव और/अथवा बार में प्रैक्टिस के न्यूनतम 3 वर्षों के अनुभव सहित प्रख्यात बैंक अथवा केन्द्र / राज्य सरकार / अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विधि विभाग में विधि अधिकारी.

4. उच्च आयु सीमा में छूट :

(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	05 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थी	03 वर्ष
(iii)	भूतपूर्व सैनिक /इसीओ/एसएससीओ सहित कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की हो और उन्हें निम्नानुसार सेवा मुक्त किया गया : (ए) नियत कार्य पूर्ण करने (इसमें वे भी शामिल हैं जिनके कार्य आवेदन की तारीख से 12 माह के अंदर पूरा होते हैं) अन्यथा अक्षमता या कदाचार के कारण बर्खास्त अथवा सेवा मुक्त किया गया. (बी) सैन्य सेवा के दौरान शारीरिक विकलांगता के कारण. (सी) अशक्तता पर	05 वर्ष
(iv)	विकलांग व्यक्तियों के लिए	10 वर्ष
(v)	1984 के दंगो में मारे गए लोगों के बच्चों/परिवार सदस्यों के लिए.	05 वर्ष
(vi)	01/01/1980 से 31/12/1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अधिवास कर चुके लोगों के लिए.	05 वर्ष
(vii)	आरआरबी के अधिकारी जो न्यूनतम 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अधिकारी के रूप में की गई सेवा के वर्षों की संख्या जो अधिकतम 05 वर्ष होगी.
(viii)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के लिपिक कर्मचारी (केवल वेतनमान I के पद के लिए).	03 वर्ष

नोट : अजा/अजजा/अपिव के लिए आयु में छूट संचयी आधार पर शेष वर्गो में से केवल एक वर्ग, जिसके लिए आयु में छूट अनुमत है, के लिए है. ''संपन्न वर्ग'' (क्रीमी लेयर) के अपिव के अभ्यर्थियों के उम्मीदवार ''सामान्य उम्मीदवार'' माने जाएंगे.

5. वेतनमान:

		वेतनमान	वेतनमान के प्रारंभ पर लगभग कुल परिलब्धियां + मभ + नप्रभ + मेट्रो केन्द्रों में मकिभ
5.1	कप्रश्रे वेतनमान I	रु.10,000-470/6-12820-500/3-14320-560/7-18240.	रु.16,300.00
5.2	मप्रश्रे वेतनमान II	रु.13820-500/1-14320-560/10-19920	रु.22,320.32

इसके अतिरिक्त, आवास (मकिभ/किराया प्रतिपूर्ति के स्थान पर), वाहन, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, एलएफसी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि बैंक के नियमानुसार देय हैं.

6. पात्रता मानदंड : राष्ट्रीयता/ नागरिकता:

अभ्यर्थी को (i) भारत का नागरिक अथवा (ii) नेपाल की प्रजा हो अथवा (iii) भूटान की प्रजा हो अथवा (iv) तिब्बती शरणार्थी हो, जो दिनांक 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो अथवा (v) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगाण्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तगानयिका एवं जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आये हों, बशर्ते कि उपर्युक्त श्रेणी (ii), (iii), (iv) एवं (v) से सम्बंधित अभ्यर्थी वह होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है कोई अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा / साक्षात्कार में शामिल होने दिया जाये लेकिन अंतिम रूप से चयन होने पर नियुक्ति का पत्र भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने पर ही जारी किया जायेगा.

7. चयन पक्रिया:

चयन प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा और/अथवा समूह चर्चा, साक्षात्कार के आधार पर निर्भर होगा. पात्रता मानदंडों को पूरा करने मात्र से कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा / समूह चर्चा / व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाएगा. बैंक के पास अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संदर्भ में प्रारंभिक जांच / चयनित सूची तैयार करने के पश्चात आवश्यक संख्या में अभ्यर्थियों को समूह चर्चा /साक्षात्कार हेतु बुलाने का अधिकार सुरक्षित है.

8. लिखित परीक्षा

8.1 लिखित परीक्षा में (i) परिमाणात्मक अभिरुचि पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, तर्क-संगतता, सामान्य जागरूकता एवं अंग्रेजी तथा (ii) वर्णनात्मक परीक्षा शामिल है. परिवीक्षा अधिकारियों के लिए वर्णनात्मक परीक्षा सामाजिक-आर्थिक विकास पर अभ्यर्थियों के ज्ञान एवं संप्रेषण कौशल का मूल्यांकन करने के लिए की जाएगी. तथापि विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए वर्णनात्मक परीक्षा विशेषज्ञता के क्षेत्र में होगी. लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 50% (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45%) होंगे. तथापि, समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या, बैंक द्वारा निर्णीत उपयुक्त कट-ऑफ अंकों के अनुसार होगी. लिखित परीक्षा में 50% अंक (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंक) प्राप्त करने मात्र से ही कोई भी अभ्यर्थी समूह चर्चा और/अथवा साक्षात्कार के लिए हकदार नहीं होगा. लिखित परीक्षा के सम्बंध में अन्य विवरण यानि प्रश्नों की संख्या, अवधि आदि के सम्बंध में और विवरण बुलावे पत्र के साथ सूचित किए जाएंगे. अभ्यर्थियों के पास लिखित परीक्षा (वर्णनात्मक परीक्षा) का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी (केवल एक भाषा) में देने का विकल्प है.

8.2 लिखित परीक्षा निम्न केन्द्रों पर होगी एवं स्थान का पता बुलावे पत्र में सूचित किया जाएगा.

लिखित परीक्षा केन्द्रों की सूची, केन्द्र के कोड सहित निम्नवत है :-

केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम	केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम
11	अहमदाबाद	18	गुवाहाटी
12	बैंगलूर	19	हैदराबाद
13	भोपाल	20	कोलकाता
14	भुबनेश्वर	21	लखनऊ
15	चंडीगढ़	22	मुम्बई
16	चेन्नै	23	पटना
17	दिल्ली		

नोट : (i) परीक्षा के केन्द्र में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(ii) बैंक के पास किसी भी केन्द्र को हटाने/अथवा कुछ अन्य केन्द्रों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित होगा, जो कि प्रत्युत्तर और प्रशासकीय व्यवहार्यता आदि पर निर्भर करेगा. बैंक के पास अभ्यर्थी को उसके द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा अन्य कोई केन्द्र आबंटित करने का अधिकार भी सुरक्षित है.

8.3 परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण - **केवल परिवीक्षा अधिकारियों के लिए पद कोड -01:**

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक भोपाल, चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ एवं पुणे केन्द्रों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / शारीरिक विकलांग / भू.पू. सैनिक / अल्पसंख्यक के सीमित संख्या के अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारी (पद कोड - 01) के लिए 6 दिनों का निःशुल्क गैर-आवासीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (पीईटी) देगा. उपर्युक्त वर्गों से सम्बद्ध अभ्यर्थी जो ऐसा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस आशय का उल्लेख कर दें. पीईटी के लिए उम्मीदवारों में से चयन आवेदन प्राप्त होने की तारीख की प्राथमिकता पर किया जाएगा. सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र पर परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए यात्रा, भोजन, ठहरने आदि के सम्बंध में पूरा व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा. बैंक अपने विवेक पर उक्त दर्शित पीईटी केन्द्रों में वृद्धि अथवा कमी कर सकता है.

9. परीक्षा केन्द्रों का विवरण

केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम	सम्पर्क पता	टेलीफोन नंबर/फैक्स/ ई-मेल पता
11	अहमदाबाद	मुख्य प्रबंधक (मासंवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, पी.ओ. नं. 205, लाल दरवाजा, अहमदाबाद-380 001.	फोन : 25503586, 25505995. फैक्स : 079 - 25505995 ई-मेल : zmahmezo@centralbank.co.in
12	बैंगलूर	क्षेत्रीय प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, पी. बॉक्स नं. 5129, नंबर.24, क्रेसेंट रोड, बैंगलूर- 560001.	फोन : 22265652/53/54. फैक्स : 080 - 22258581 ई-मेल rmbangro@centralbank.co.in
13	भोपाल	मुख्य प्रबंधक (मासंवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय, 9, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011.	फोन: 2552023, 2552026. फैक्स : 0755- 2552019 ई-मेल persbhopzo@centralbank.co.in
14	भुबनेश्वर	क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, 94, जनपथ, यूनिट नं. 111 भुबनेश्वर-751001.	फोन : 2534338, 2534025. फैक्स: 0674 - 2534025 ई-मेल rmbhubro@centralbank.co.in
15	चंडीगढ़	मुख्य प्रबंधक (मासंवि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय पी. बॉक्स नं.13, नंबर. 58-59, बैंक स्क्वेयर, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ -160017.	फोन : 2702994/98 फैक्स: 0172 - 2704047 ई-मेल zmchanzo@centralbank.co.in
16	चैन्नै	मुख्य प्रबंधक (मासंवि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, पी.ओ. बॉक्स. 503, 48/49 मॉन्टीएथ रोड, चेन्नै-600 008.	फोन : 28554649, 28554668, 28554792. फैक्स : 044 - 28551260 ई-मेल : cbizomas@vsnl.net
17	दिल्ली	मुख्य प्रबंधक (मासंवि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, पी.ओ. बॉक्स 7007, लिंक हाउस, 3, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110 002.	फोन : 23318964, 23319268, 23319269, 23319280. फैक्स : 011 - 23311332 ई-मेल : cmprsdelzo@centralbank.co.in
18	गुवाहाटी	मुख्य प्रबंधक (मासंवि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय, जी.एस. रोड., सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग बांगागढ़, गुवाहाटी-781005.	फोन: 2457651/52 फैक्स : 0361 - 2452154 ई-मेल: zmguwazo@centralbank.co.in
19	हैदराबाद	मुख्य प्रबंधक (मासंवि), सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, बैंक स्ट्रीट, कोठी, हैदराबाद-500 095.	फोन : 24740361, 24740364, 24744938. फैक्स: 040 - 24742841 ई-मेल : cbi-zo-hyd@eth.net
20	कोलकाता	मुख्य प्रबंधक (मासंवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, 33, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001.	फोन : 22301270, 22301275, 22307007, 22308921. फैक्स : 033 - 22309864 ई-मेल: cmprskolkzo@centralbank.co.in
21	लखनऊ	मुख्य प्रबंधक (मासंवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय आकाश दीप, 23, विधान सभा मार्ग लखनऊ- 226 001.	फोन: 2611301, 2611302, 2611303. फैक्स : 0522 - 2621213 ई मेल: cmpersluckzo@centralbank.co.in
22	मुम्बई	सहायक महाप्रबंधक, (केकवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुम्बई-400 021.	फोन : 66387884 फैक्स : 022 - 22853074 ई-मेल : cmcsd@centralbank.co.in
23	पटना	मुख्य प्रबंधक (मासंवि) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया आंचलिक कार्यालय 2री मंजिल, ब्लॉक-बी, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स डाक बंगला रोड, पटना- 800001.	फोन : 22226607 फैक्स : 0612 - 22221898 ई-मेल : zmpatnazo@centralbank.co.in

बाकी अगले पृष्ठ पर...

...पिछले पृष्ठ से आगे

10. समूह चर्चा/व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार

जहां कहीं भी बैंक लिखित परीक्षा लेने का निर्णय लेता है, बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंको में लिखित परीक्षा के अनुसार (न्यूनतम अर्हता अंको से ऊपर) चयनित अभ्यर्थियों को समूह चर्चा/व्यक्तित्व परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा एवं इस सम्बंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा.

11. आवेदन शुल्क (डाकप्रभार सहित) (अप्रतिदेय):

रु.300/- प्रति आवेदन. **(अजा/अजजा/विकलांग अभ्यर्थियों के लिए रु.25/- सिर्फ डाकप्रभार के रूप में.)** आवश्यक शुल्क बैंक की अधिसूचित कोर बैंकिंग शाखा में शुल्क भुगतान रसीद द्वारा जमा किया जा सकता है, जिसका प्रिंट-आउट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है **(अथवा)** शुल्क **"सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया - अधिकारियों की भर्ती, 2009"** के पक्ष में आहरित **'मुम्बई'** पर देय मांग ड्राफ्ट, जिसके पृष्ठ भाग पर अभ्यर्थी का नाम व पता लिखा होना चाहिए, के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है. कृपया नोट करें की मुम्बई के अलावा अन्य स्थानों पर आहरित नकद/चेक मनी ऑर्डर/पोस्टल ऑर्डर/पोस्टल स्टैम्प/मांग ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगें. एक बार किए गए आवेदन को वापिस लेने की अनुमति नहीं है और एक बार अदा किया गया शुल्क न तो किसी भी स्थिति में वापिस किया जाएगा और न ही अन्य किसी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा. जिन आवेदन पत्रों के साथ उपर्युक्तानुसार इंगित आवश्यक शुल्क संलग्न नहीं होगा. उन पर विचार नहीं किया जाएगा. **बिना ऑन-लाइन पंजीकरण वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.**

12. सामान्य पात्रता:

12.1 चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता, चरित्र और जाति (जहां लागू हो), का सत्यापन:

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उन्हें बैक द्वारा अनुमोदित डॉक्टर या डॉक्टर के पैनलों द्वारा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने और उनके चरित्र, पूर्व-वृत्त एवं जाति प्रमाणपत्र (जहां लागू हो) के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी. उस समय तक उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी.

12.2 परिवीक्षा एवं स्थायीकरण:
चयनित अभ्यर्थी कार्य-ग्रहण की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे. बैंक सेवा में उनके स्थायीकरण पर निर्णय सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमों के प्रावधानों के तहत लिया जाएगा.

12.3 चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना एवं स्थानांतरण:
चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना और तत्पश्चात उनका स्थानांतरण भारत में कहीं भी किया जा सकता है.

13. सामान्य अनुदेश:

(ए) किसी आवेदन अथवा पत्र आदि के डाकमार्गस्थ खोने अथवा मिलने में देरी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. **(बी) यह नोट करें कि अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in** के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करना आवश्यक है. आवेदनों का कोई भी अन्य साधन स्वीकार्य नहीं होगा. वेबसाइट से आवेदन लिंक दिनांक **15/06/2009** से **30/06/2009** तक खुली रहेगी. **(सी)** सिर्फ वे पंजीकृत आवेदन वैध माने जाएंगे जिनका विधिवत हस्ताक्षरित प्रिंट आउट शुल्क भुगतान रसीद (एफडीआर)/मांग ड्राफ्ट/प्रमाणपत्रों एवं चिपकाए हुए फोटोग्राफ और अन्य विवरणों के साथ प्राप्त होता है. डाक में विलम्ब अथवा मार्गस्थ गुम होने के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा. **(डी)** आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वह इस विज्ञापन में वर्णित पात्रता एवं अन्य मानदंड पूरे करता/करती है. अभ्यर्थी की पात्रता, वह चरण जहां पात्रता की जांच की जानी है, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन के आयोजन के उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और भर्ती से सम्बद्ध अन्य सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा. इस सम्बंध में किसी भी पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिगत पूछ-ताछ पर बैंक द्वारा ध्यान नहीं दिया जाएगा. **(ई)** यदि भर्ती के दौरान किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि अभ्यर्थी पात्रता के मानदंड पूरे नहीं करता/करती है और/अथवा उन्होंने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है/प्रमाणपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपाया है, तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी. यदि इनमें से किसी भी कमी/कमियों का पता नियुक्ति के बाद चलता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी. **(एफ)** अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ क्षैक्षणिक योग्यता, अनुभव जन्मतिथि एवं जाति/विकलांगता (यदि कोई हो), के समर्थन में सभी प्रमाणपत्रों की साक्ष्यांकित फोटो-प्रतियां संलग्न करनी चाहिए. **(जी)** अजा/अजजा/अपिव और शारिरिक विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अपिव/शावि प्रमाणपत्र की सत्यापित फोटोप्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए. अपिव के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र में अन्य बातों के अलावा इस बात का विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग 'क्रीमी लेयर' में से नहीं है, जिन्हें भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं के लिए अपिव (ओबीसी) को आरक्षण के लाभ से अलग कर दिया गया है. **अपिव प्रमाणपत्र, आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो. (एच)** आरक्षण/आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले "शारीरिक विकलांग" अभ्यर्थियों को अपनी विकलांगता के बारे में, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का परिरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में निर्दिष्ट चिकित्सा प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी चाहिए. **(आई)** हाल ही का, पहचानने योग्य पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर भली-भांति चिपकाया जाना चाहिए और उसे क्रॉस करते हुए अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर करने चाहिए. इसी फोटोग्राफ की तीन प्रतियां बाद में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु रखी जाएं. अभ्यर्थियों को सूचना दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने रुपाकार (बाह्य व्यक्तित्व) में कोई परिवर्तन न करें. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय वैसा ही फोटोग्राफ प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है. **(जे)** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के व्यय से आना होगा. **(के) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बैंको सहित) में कार्यरत अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजें और साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करें, जिसके अभाव में उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा. मूल मांग ड्राफ्ट के साथ आवेदन की अग्रिम प्रति प्रेषिती को निर्धारित समय सीमा के अंदर भेजी जाए. (एल)** केवल उन्हीं आवेदकों को आवेदन करना चाहिए, जो भारत में कहीं भी सेवा के लिए तैयार हों. **(एम)** पते में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. **(एन)** इस विज्ञापन से कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उसका निबटारा केवल मुम्बई स्थित अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही किया जा सकेगा. **(ओ)** अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/प्रेषण को आवेदन के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी. **(पी)** यदि इस विज्ञापन के अंग्रेजी से इतर भाषा में अनुवाद को लेकर कोई अर्थ सम्बंधी विवाद उत्पन्न होता है तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा. **(क्यू)** किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/चयन प्रक्रिया के दौरान केलक्युलेटर, किसी भी प्रकार का टेलीफोन, पेजर अथवा ऐसा कोई अन्य उपकरण प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं होगी. **(आर)** अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए आबंटित केंद्र पर अपने व्यय एवं जोखिम पर आएंगे और बैंक किसी भी प्रकार चोट लगने अथवा हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा. **(एस)** बैंक किसी केन्द्र/स्थान के सम्बंध में, जहां आवश्यक समझे, अपने विवेकानुसार पुनःपरीक्षा आयोजित कर सकता है. **(टी)** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने के अधीन होगी. ऐसी नियुक्ति बैंक की सेवा और आचरण नियमों के भी अधीन होगी **(यू)** बैंकिंग एक बहुमुखी गतिविधि है, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों का सर्वोन्मुखी प्रशिक्षण आवश्यक है. तद्-नुसार, बैंक में नियुक्त/चयनित विशेषज्ञ अधिकारियों से बैंकिंग के विविध पहलुओं का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित होगा, जिसके लिए बैंक उन्हें अपनी शाखाओं/कार्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य के दौरान (ऑन- दि- जॉब)/सैद्धांतिक प्रशिक्षण देगा, ताकि विशेषज्ञ कार्यों के लिए भर्ती किए गए अभ्यर्थी सभी प्रकार की बैंकिग गतिविधियां करने में सक्षम हो सकें. **(वी)** विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप-समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए एफपीआर/डीडी के साथ ऑन-लाइन आवेदनों का प्रिंट-आउट स्वीकार करने की अंतिम तारीख दिनांक **13/07/2009** होगी. **(डब्ल्यू)** जो शारीरिक विकलांग (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थी स्क्राइब की सेवा लेने के इच्छुक हैं वे अपनी निजी लागत पर उनकी सेवाएं ले सकते हैं. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यताएं पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्ड से एक ग्रेड नीचे होनी चाहिए. स्क्राइब के अंक, अभ्यर्थी से कम हों एव उसके स्वयं के शैक्षणिक विषय में 60% से अधिक अंक न हो. स्क्राइब अभ्यर्थी से अलग शैक्षणिक विषय का हो. अभ्यर्थी एवं स्क्राइब दोनों को इस आशय का एक उपयुक्त घोषणापत्र देना होगा कि स्क्राइब उपर्युक्त उल्लिखित पात्रता मानदण्ड पूरा करता है. इसके अतिरिक्त, यदि बाद में यह पाया गया है कि स्क्राइब पात्रता मानदण्ड पूरा नहीं करता है, तो लिखित परीक्षा के परिणाम पर ध्यान दिए बिना अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी. स्क्राइब का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के अतिरिक्त समय के लिए पात्र होंगे. (**एक्स**) **कदाचार के दोषी पाए जानेवाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई :-** अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय वे कोई ऐसा विवरण न दें जो गलत, तोड़-मरोड़ कर दिया गया अथवा जाली हो अथवा कोई महत्त्वपूर्ण सूचना नहीं छू पाई हो. लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय यदि कोई अभ्यर्थी:

(i) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने अथवा **(ii)** प्रतिरूपण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करने अथवा **(iii)** परीक्षा-कक्ष में दुर्व्यवहार अथवा परीक्षा-कक्ष से प्रश्न पत्र बुकलेट एवं उत्तर-शीट ले जाने अथवा **(iv)** चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के सम्बंध में किसी प्रकार के अनियमित अथवा अनुचित साधनों का सहारा लेने अथवा **(v)** किसी प्रकार के माध्यम द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है, तो वह अभ्यर्थी स्वयं आपराधिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्न के लिए पात्र होगा:

(ए) परीक्षा, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, के लिए उसे अयोग्य ठहराया जाएगा.

(बी) बैंक द्वारा आयोजित परीक्षा अथवा भर्ती के लिए या तो स्थायी रुप से अथवा निर्धारित अवधि के लिए उस पर रोक लगाई जाएगी.

बैंक, समानता पैटर्न का पता लगाने के लिए एक अभ्यर्थी के उत्तरों को विश्लेषण परीक्षा में बैठे अन्य अभ्यर्थियों के साथ करेगा. यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस बात का संदेह होता है कि उत्तरों में एक-दूसरे की सहभागिता है एवं प्राप्तांक वास्तविक/वैध नहीं है, तो बैंक को उसकी अभ्यर्थिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है.

(14) अजा/अजजा/अपिव/शावि के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्रधिकारी निम्मानुसार है:

(ए) अजा/अजजा/अपिव के लिए - **(1)** जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी-कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मैजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट/तालुक मैजिस्ट्रेट/कार्यकारी मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक **(2)** चीफ रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट **(3)** राजस्व अधिकारी तहसीलदार से कम के पद का न हो/क्षेत्र का सब डिविज़नल अधिकारी जहां साधारणतया अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य निवास करते हों.

(बी) शारीरिक विकलांगों के लिए : जिला स्तर पर प्रमाणपत्र के लिए प्राधिकृत अधिकारी चिकित्सा बोर्ड है. मेडिकल बोर्ड में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप डिविजनल चिकित्सा अधिकारी और एक आर्थोपेडिक सर्जन शामिल होंगे.

(15) आवेदन कैसे करें :- आवेदकों को वेबसाइट **www.centralbankofindia.co.in** के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन करना चाहिए. आवेदन का अन्य कोई भी माध्यम स्वीकार नहीं जाएगा. आवेदनों के प्रणाली जनित प्रिंट-आउट प्राप्ति की अंतिम तारीख **06/07/2009** (सुदूर क्षेत्रों के लिए तारीख **13/07/009**) है. वेबसाइट से आवेदन लिंक तारीख **15/06/2009** से **30/06/2009** तक खुला रहेगा.

ऑन-लाइन आवेदन भरने के दिशानिर्देश निम्नवत है:

- **ऑन-लाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों के पास उनकी शुल्क भुगतान रसीद (एफपीआर)/मांग ड्राफ्ट (डीडी) तैयार होना चाहिए, क्योंकि एफपीआर/डीडी का विवरण ऑन-लाइन आवेदन में प्रविष्टि के लिए आवश्यक है. अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट से शुल्क भुगतान रसीद की प्रति अवश्य डाउनलोड करें तथा बैंक की किसी भी नोटिफाइट सीबीएस शाखा में आवेदन शुल्क जमा करें (अथवा) आवेदन शुल्क का भुगतान मांग ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है. वैध एफपीआर/डीडी के बगैर, आंकड़े पंजीकृत नहीं होंगे. एफपीआर/डीडी दिनांक 15/06/2009 के पूर्व और दिनांक 30/06/2009 के बाद में न हों. फिर भी, यदि बैंक ऑन-लाइन पंजीकरण की तारीख एक अथवा दो दिन बढ़ा भी देता है तब भी शुल्क भुगतान रसीद (एफपीआर)/मांग ड्राफ्ट की तारीख में परिवर्तन नहीं होगा.**
- ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरांत, पंजीकृत अभ्यर्थियों को आवेदन का प्रणाली जनित प्रिंट-आउट प्राप्त करना चाहिए. आवेदन के इस प्रणाली जनित प्रिंट-आउट पर आवेदक को हस्ताक्षर कर निम्न के साथ प्रेषित करना चाहिए -
  - (i) एफपीआर/डीडी के रूप में **रु.300/-** का आवेदन शुल्क **(रु.25/- अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिए)** जो कि **"सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया- अधिकारियों की भर्ती 2009"** के पक्ष में देय हो तथा मुम्बई पर देय हो.
  - (ii) आवश्यक प्रमाणपत्र/प्रमाण [13 (एफ) संदर्भनुसार].
  - (iii) दिए गए स्थान पर फोटो लगाकर उसे क्रॉस कर हस्ताक्षरित किया हुआ हो.
- हर प्रकार से पूर्ण किए गए आवेदन पत्र **साधारण डाक** द्वारा बंद लिफाफे में भेजे जाएं. लिफाफे पर **'परिवीक्षाधीन अधिकारी/विशेषज्ञ अधिकारी-2009'** के लिए आवेदन लिखें. आवेदन निम्न पते पर दिनांक **06/07/2009** तक पहुंच जाएं. विदेशों एवं सुदूर क्षेत्रों से प्रेषित आवेदन (विस्तृत विज्ञापन के क्लॉज 13(वी) का संदर्भ लें) दिनांक **13/07/2009** तक स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते कि एफपीआर/डीडी दिनांक **15/06/2009** को अथवा इसके उपरांत किन्तु दिनांक **30/06/2009** को अथवा इसके पूर्व का हो.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
परिवीक्षाधीन अधिकारियों/विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती 2009
पोस्ट बॉक्स नंबर 7744,
बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई - 400 092.

- अभ्यर्थी पद कोड 02 से 03 में से एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. तथापि, पद कोड 01 और पद कोड 02 के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी को दोनों पदों में से प्रत्येक पद के लिए आवश्यक शुल्क सहित अलग लिफाफे में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
- अभ्यर्थी के पास आवेदन फॉर्म भरने के लिए वैध ई-मेल आईडी होना आवश्यक है. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ई-मेल आईडी नहीं है, तो वह नया ई-मेल आईडी बना सकता है.
- अभ्यर्थी, भविष्य में संदर्भ के लिए भेजे गए आवेदन-फॉर्म के प्रिंट-आउट की फोटो-कॉपी अपने पास अवश्य रखें.
- केवल वे पंजीकृत आवेदन, जिनके प्रिंट-आउट पर विधिवत हस्ताक्षर है और फोटोग्राफ लगा हुआ है एवं एफपीआर/डीडी और प्रमाणपत्रों सहित प्राप्त होते हैं, वैध माने जाएंगे. डाक में विलम्ब अथवा मार्गस्थ गुम होने के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा.

16. लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र:

लिखित परीक्षा की संभावित तारीख **परिवीक्षाधीन अधिकारियों** के लिए **16/08/2009** तथा **विशेषज्ञ अधिकारियों** के लिए **09/08/2009** निर्धारित की गई है. तथापि, इसकी सूचना उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र/स्थान के साथ बुलावा पत्र में, लिखित परीक्षा की तारीख से पर्याप्त पूर्व दी जायेगी. पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र, आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक (यूपीसी) द्वारा भेजे जाएंगे. जिस पात्र अभ्यर्थी को परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए दिनांक 10/08/2009 तक एवं विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए दिनांक 03/08/2009 तक बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, उन्हें उपर्युक्त सम्बंधित केन्द्र के दिए गए पते पर अपना नाम, पता, मांग ड्राफ्ट आदि के विवरण के साथ तत्काल उपचारात्मक कारवाई हेतू सम्पर्क करना चाहिए उपर्युक्त वर्णित अनुसार सम्पर्क पते पर बुलावा पत्र की दूसरी प्रति उपर्युक्त यथा उल्लिखित सम्पर्क पते पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए दिनांक 11 अगस्त, 2009 से दिनांक 14 अगस्त, 2009 के बीच तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए दिनांक 4 अगस्त, 2009 से दिनांक 8 अगस्त, 2009 के बीच जारी किए जाएंगे.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

आइये, एक बेहतर जीवन बनायें — Build a better life around us

www.centralbankofindia.co.in

Sa-CB-18-2009